

पूजाय पराजयिता के पुत्र क अपहरण और हत्या मामले में चार दोषी करार

लखनऊ रिपोर्ट | पटना

जिगरी दोस्त ने किया था अपहरण

श्री. मिश्रकर | पटना

घटनाव

पटना सिविल कोर्ट के जज विजय चंद्र शर्मा ने गुरुवार को पूजाय पराजयिता के पुत्र के अपहरण और हत्या मामले में चार दोषी करार देते हुए जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।

अपहरण ने दोनों पक्षों की शान्ति में सुखी के बाद मिश्रा और कुमर के पुत्रों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जज ने जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।



रूपसपुर थाना क्षेत्र के निवासी जगदीश कुमार के पुत्रों के अपहरण 24 अक्टूबर 2011 को हुआ था। दोनो पक्षों के बीच अहिंसक तरीके से मामले का समाधान होना है। मामले का रजिस्ट्रार को देखा गया था। पुलिस ने मामले का रजिस्ट्रार को देखा गया था। पुलिस ने मामले का रजिस्ट्रार को देखा गया था।

- 24 अक्टूबर - जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।
- जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।
- जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।
- जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।
- जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।
- जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।
- जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।
- जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।
- जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।
- जमानत के लिए 11 वर्षों की शिर्षक निर्धारित की है।

भारत संचार निगम कार्यालय के बाहर व अंदर यूनियन के सदस्यों का हंगामा



भारत संचार निगम कार्यालय के बाहर और अंदर में यूनियन के सदस्यों ने हंगामा मचाया। जैसा कि पता चलता है, यूनियन के सदस्यों ने अंदर जाकर बैठने का प्रयास किया। यूनियन के सदस्यों ने अंदर जाकर बैठने का प्रयास किया। यूनियन के सदस्यों ने अंदर जाकर बैठने का प्रयास किया।

20 से 22 नवंबर तक गांधी मैदान में लगेगा इंटरनेशनल एथ्री हॉर्टी टेक

पटना के गांधी मैदान में 20 से 22 नवंबर तक गांधी मैदान में इंटरनेशनल एथ्री हॉर्टी टेक का आयोजन होगा। इसमें कुल 10 देशों के एथलीट और उनके प्रशंसकों का शामिल होना है।

बिल्डर अनिल सिंह की गिरफ्तारी का वारंट लेने कोर्ट पहुंची पुलिस चार अन्य मामलों में हो सकती है गिरफ्तारी

पटना के जज विजय चंद्र शर्मा ने गुरुवार को बिल्डर अनिल सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। चार अन्य मामलों में भी गिरफ्तारी हो सकती है।

